



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 18177 सन् 2026

मुरारी लालआवेदक

बनाम

उ०प्र० राज्य विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अमित कुमार त्रिपाठी, अशोक कुमार मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या – 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. प्रथम सूचना दाता की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार पटेल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार मिश्रा, प्रथम सूचना दाता के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार पटेल, राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) श्री पुष्कर श्रीवास्तव को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
3. यह जमानत आवेदन इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक मुरारी लाल को मामला अपराध संख्या 201 सन् 2025, बीएनएस की धारा 333, 103(1), 3(5) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27/30, थाना देवरिया कलां, जनपद पोलीभीत में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एफआईआर के अनुसार आवेदक सहित कई अभियुक्तों द्वारा सूचनादाता पक्ष पर फायरिंग की गई, जिससे प्रदीप कुमार को एक गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। किसी भी अभियुक्त को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। सह-अभियुक्त मीरा देवी को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1065 सन् 2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, आवेदक 27.11.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में पूरा सहयोग करेगा।
5. इसके विपरीत, प्रथम सूचना दाता के अधिवक्ता ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि घटना में प्रयुक्त राइफल आवेदक की निशानदेही पर बरामद हुई है, इसलिए उसका मामला अन्य अभियुक्तों से भिन्न है।
6. राज्य की ओर से ए.जी.ए. ने भी जमानत का विरोध किया और कहा कि सह-अभियुक्त मेवा राम एवं अमन के कथित स्वीकारोक्ति बयान में यह सामने आया है कि आवेदक द्वारा चलाई गई गोली ही मृतक को लगी थी। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि किसी भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह ने आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी है।
7. एफआईआर के अनुसार, आठ व्यक्तियों, जिनमें आवेदक भी शामिल है, द्वारा सूचनादाता पक्ष पर फायरिंग की गई, जिससे प्रदीप कुमार को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। किसी भी गवाह ने आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई है, बल्कि सभी अभियुक्तों को सामान्य भूमिका दी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गई है। आवेदक की निशानदेही पर एक राइफल बरामद हुई है। आवेदक के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण आवेदनपत्र में दिया गया है तथा वह 27.11.2025 से जेल में निरुद्ध है।

8. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में भीड़ तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित विचारणों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए तथा कपिल बधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे, 2025 एससीसी आनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किया गया एवं माया तिवारी बनाम उ०प्र० राज्य, जिसे, 2024 एससीसी आनलाइन इला० 6765 में रिपोर्ट किया गया, मामलों में जमानत संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

9. अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

10. उपर्युक्त अपराध में निरुद्ध आवेदक मुरारी लाल को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक किसी भी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा।

(ii) आवेदक बिना अनावश्यक स्थगन मांगे विचारण/विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा और कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

11. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

12. संबंधित न्यायालय बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व आवेदक एवं उसके जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास का सत्यापन करेगा। साथ ही उनके मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का भी सत्यापन किया जाएगा।

13. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।

14. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पॉलिसी स्ट्रेटजी फार ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटो रिट याचिका (क्रि०) संख्या 4 सन् 2021 (जिसका निर्णय दिनांक 31.01.2023, को और जिसे (2024) 10 एससीसी 685) में रिपोर्ट किया गया, के अनुपालन में इस आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक को ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से भेजी जाए, ताकि वह आवेदक को उपलब्ध कराई जा सके।

दिनांक : 03 जून 2026

मधुरिमा

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Q1-di

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"